

सही न ही

2022/561

Form No. III
फॉर्म अहकाम
(नियम 28)

3A

अदालत..... 34 (अहकाम) मुकाम..... बयाना
 पीठासीन अधिकारी..... बयाना
 प्रस्तावक का नाम..... लीचन किशोर
 प्रस्तावक का पता..... नं. 262 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
15/12/22	प्राथमिक रूप से (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) को जारी की गई नोटिस तबत तक तमाम दिनांक 14/12/22 को प्रोक्त हो	
14/12/22	पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/12/22 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	बयाना का पत्रावली 14/12/22
19/12/23	पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/12/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
10/5/23	पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/5/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	पत्रावली का Identity by me 10/5/23
2/6/23	अहकाम आज वासी द्वारा कूल वाड से प्रस्तुत प्रतिक्रिया के आधार पर जारी की गई प्रेशी से कूल वाड के लाइव को वासी द्वारा अपना लावा कर प्रेशी का सहायक द्वारा	QR Code

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जा चुका है। हुकम बाद के इजाजत होने
पर शत प्राप्ति पर का कोश करिये
वही रहना है। अतः प्राप्ति पर प्रमाण
भी हुकम बाद के प्राप्ति होने की दशा
शील रूप से प्राप्ति किया जाना है।
प्रमाण के अभाव में न्याय से का है।
दाखिल दस्त है।

जसखण्ड अधिकारी
बयाता (भक्तपुर)